

Prepared by

Dr. Md.Haider Ali, Assistant Professor

Dept.of History, R.B.G. R. College

Maharajganj, JPU, Chapra

BA(Subsidiary) History, Part-II

प्रश्न: शिवाजी के जीवन और उसके प्रशासनिक कार्यों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर : शिवाजी का जन्म शाहजी भोंसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई की कोख से 10 अप्रैल, 1627 ई. को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था. शिवनेर का दुर्ग पूना से उत्तर जुन्नार नगर के पास था. उनकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में इतिहासकारों के बीच मतभेद है. कई जन्म-तिथियों का उल्लेख किया गया है जिनमें 20 अप्रैल, 1627, 19 फरवरी 1630 और 9 मार्च 1630 ई. विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं.

शिवाजी का बचपन

शिवाजी का बचपन शेरशाह की तरह उपेक्षित रहा और वे सौतेली माँ के कारण बहुत दिनों तक पिता के संरक्षण से वंचित रहे. शाहजी भोंसले अपनी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते पर अधिक आसक्त थे और जीजाबाई उपेक्षित और तिरस्कृत जीवन व्यतीत कर रही थीं. परन्तु जीजाबाई उच्च कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न महिला थीं. जीजाबाई यादव वंश की थीं और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे. वह धार्मिक प्रवृत्ति की थीं. उन्होंने अपने पुत्र को हिंदू धर्म के आदर्श पुरुषों की गाथा सुनाकर बचपन से ही उसे महान् बनने की प्रेरणा दी. बचपन में माँ ने पुत्र का चरित्र-निर्माण करने में आधारशिला का काम किया था. ऐसी माँएँ विरल होती हैं.

शिक्षा

शिवाजी को हैदरअली और रणजीत सिंह की तरह नियमित शिक्षा नहीं मिली थी. उनकी माँ पैत्रिक जागीरदारी में ही रहती थीं. शाहजी भोंसले ने अपने विश्वासी सेवक दादाजी कोणदेव को शिवाजी का संरक्षक नियुक्त किया था. दादाजी कोणदेव एक वयोवृद्ध अनुभवी विद्वान् थे. उन्होंने शिवाजी की प्रतिभा को देखते हुए उन्हें मौखिक रूप से रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रन्थों से अवगत करवा दिया था. मानसिक विकास के साथ-साथ दादाजी कोणदेव ने शिवाजी को युद्ध-कला की शिक्षा दी थी. दादाजी कोणदेव से ही शिवाजी को प्रशासन का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था. अतः जीजाबाई के अतिरिक्त दादाजी कोणदेव का प्रभाव शिवाजी के जीवन और चरित्र-निर्माण पर सबसे अधिक पड़ा था.

चरित्र-विकास

शिवाजी के चरित्र-विकास में गुरु रामदास की शिक्षा का भी प्रभाव था. रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक थे. रामदास ने मराठों को संगठित करने और जननी एवं जन्मभूमि की रक्षा करने का सन्देश दिया था. उन्होंने धर्म, गाय और ब्राह्मण की रक्षा करने का आदेश दिया था. माँ, संरक्षक और गुरु के

आदर्शों से प्रेरणा पाकर शिवाजी धीरे-धीरे साहसी और निर्भीक योद्धा बन गए. वे धर्म, धरती और गाय की रक्षा के नाम पर एक राष्ट्र का निर्माण करने का स्वप्न देखने लगे. विदेशी सत्ता से मातृभूमि को मुक्त करने का वे संकल्प ले चुके थे. रौलिंग्सन ने लिखा है “मात्र लूट-पाट की चाह के स्थान पर शिवाजी ने विदेशियों के अत्याचार से देश को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से अपना जीवन जिया था.”

मराठा रक्त

शिवाजी की धमनी में मराठा और यादव का रक्त प्रवाहित हो रहा था. स्वाभाविक रूप से वंश-परम्परा के अनुकूल उनमें साहस, वीरता और स्वाभिमान की कमी नहीं थी. उन्होंने अपने संरक्षक दादाजी कोणदेव की सलाह के अनुसार बीजापुर के सुल्तान की सेवा करना अस्वीकार कर दिया था. उन्होंने स्वतंत्र और साहसिक जीवन व्यतीत करना अधिक श्रेयस्कर माना. उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमण के संकटकाल से गुजर रहा था. अतः पतन के तरफ बढ़ रहे सुल्तान की सेवा करने के बदले वे मावलों को संगठित करने लगे. मावल प्रदेश पश्चिम घाट के पास 90 मील लम्बा और 19 मील चौड़ा एक विशाल प्रदेश था जो पहाड़ियों और घाटियों से आच्छादित था. इस प्रदेश में कोली और मराठा जाति के लोग रहते थे जो संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के फलस्वरूप परिश्रमी और कुशल सैनिक माने जाते थे. शिवाजी मावल प्रदेश के निवासियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर उनके विभिन्न भागों से परिचित हो गए. मावल युवकों को अपने पक्ष में लाकर शिवाजी ने दुर्ग-निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया. मावल जातियों का सहयोग शिवाजी के लिए वैसा ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जैसा शेरशाह के लिए अफगानों का सहयोग. अफगानों के सहयोग के बल पर शेरशाह ने अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी उसी तरह शिवाजी भी मावलों के सहयोग के बल पर एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करना चाहते थे.

विवाह

शिवाजी का विवाह 1641 ई. में सईबाई निम्बलकर के साथ बंगलौर में हुआ था. उनके संरक्षक दादा कोणदेव अनिश्चित जीवन व्यतीत करने के बदले परम्परागत ढंग की सेवा करने के पक्ष में थे. परन्तु शिवाजी की स्वतंत्र प्रकृति को सेवावृत्ति नहीं भाई. उन्होंने 16 वर्ष की आयु से ही कोंकण के आस-पास लूट-पाट प्रारम्भ कर दिया था. इन घटनाओं की सूचना पाकर दादाजी कोणदेव बहुत व्यथित हुए और मार्च, 1647 ई. में उनकी मृत्यु हो गई. संरक्षक की मृत्यु के बाद शिवाजी ने स्वतंत्र रूप से अपनी मंजिल तय करने का निर्णय लिया.

शिवाजी का मूल्यांकन

शिवाजी के व्यक्तित्व और चरित्र में कुछ ऐसे आकर्षक तत्त्व थे जिन्होंने उन्हें साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठाकर विरल व्यक्तित्व की श्रेणी में रख दिया. बाल्यकाल में माता के द्वारा जिन आदर्शों का पालन करने की शिक्षा उन्हें दी गई थी, उनका व्यावहारिक जीवन में अक्षरशः पालन कर उन्होंने माता के प्रति असीम भक्ति का परिचय दिया था. एक सफल और योग्य सैनिक और सेनानायक के सभी गुण शिवाजी के व्यक्तित्व में विद्यमान थे.

मृत्यु

1680 ई. में क्षत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो गयी। वे अपने पीछे ऐसा साम्राज्य छोड़ गए जिसका मुगलों से संघर्ष जारी रह गया। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद, 1681 में, औरंगजेब ने मराठों, आदिल शाही और गोलकुंडा के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए दक्षिण में आक्रामक सैन्य अभियान चलाया।

शिवाजी की शासन - व्यवस्था

शिवाजी महान् विजेता होने के साथ-साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी कुछ दक्षिणी राज्यों एवं **मुगल प्रशासन** से प्रभावित थी। मध्यकालीन शासकों की तरह **शिवाजी** के पास भी शासन के सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित थे। शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने मंत्रियों की एक परिषद, जिसे '**अष्टप्रधान**' कहते थे, की व्यवस्था की थी, पर इन्हें किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल की संज्ञा नहीं दी सकती थी। ये मंत्री 'सचिव' के रूप में कार्य करते थे। वह प्रत्यक्ष रूप में न तो कोई निर्णय ले सकते थे और न ही नीति निर्धारित कर सकते थे। उनकी भूमिका मात्र परामर्शकारी होती थी, किन्तु मंत्रियों से परामर्श के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे।

अष्टप्रधान

छत्रपति शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवंशिक नहीं होने दिया। '**अष्टप्रधान**' में **पेशवा** का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान का होता था। पेशवा राजा का विश्वसीय होता था। संभवतः अपनी अनुभव शून्यता के कारण शिवाजी पौरोहित्य एवं लेखा विभाग में हस्तक्षेप नहीं करते थे। शिवाजी ने रघुनाथ पण्डित हनुमन्ते के निरीक्षण में चुने हुये विशेषज्ञों द्वारा 'राजव्यवहार कोष' नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोष तैयार कराया था। शिवाजी के अष्टप्रधान का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

1. **पेशवा** - यह राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की रेख-देख करता था तथा राजा की अनुपस्थिति में राज्य की बागडोर संभालता था। उसका वेतन 15,000 हूण प्रतिवर्ष था।
2. **सर-ए-नौबत (सेनापति)** - इसका मुख्य कार्य सेना में सैनिकों की भर्ती करना, संगठन एवं अनुशासन और साथ ही युद्ध क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती आदि करना था।
3. **मअमुआदार या अमात्य** - अमात्य राज्य के आय-व्यय का लेखा जोखा तैयार करके उस पर हस्ताक्षर करता था। उसका वेतन 12,000 हूण प्रतिवर्ष था।
4. **वाकयानवीस** - यह सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था और घरेलू मामलों की भी देख-रेख करता था।
5. **शुरुनवीस या चिटनिस** - राजकीय पत्रों को पढ़ कर उनकी भाषा-शैली को देखना, परगनों के हिसाब-किताब की जाँच करना आदि इसके प्रमुख कार्य थे।
6. **दबीर या सुमन्त (विदेश मंत्री)** - इसका मुख्य कार्य विदेशों से आये राजदूतों का स्वागत करना एवं विदेशों से सम्बन्धित सन्धि विग्रह की कार्यवाहियों में राजा से सलाह और मशविरा आदि प्राप्त करना था।
7. **सदर या पंडितराव** - इसका मुख्य कार्य धार्मिक कार्यों के लिए तिथि को निर्धारित करना, ग़लत काम करने एवं **धर्म** को भ्रष्ट करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था करना, **ब्राह्मणों** में दान को बंटवाना एवं प्रजा के आचरण को सुधारना आदि था। इसे 'दानाध्यक्ष' भी कहा जाता था।

8. **न्यायधीश** - सैनिक व असैनिक तथा सभी प्रकार के मुकदमों को सुनने एवं निर्णय करने का अधिकार इसके पास होता था।

उपर्युक्त अधिकारियों में अन्तिम दो अधिकारी- 'पण्डितराव' एवं 'न्यायधीश' के अतिरिक्त अष्टप्रधान के सभी पदाधिकारियों को समय-समय पर सैनिक कार्यवाहियों में हिस्सा लेना होता था। सेनापति के अतिरिक्त सभी प्रधान ब्राह्मण थे। इन आठ प्रधानों के अतिरिक्त राज्य के पत्र-व्यवहार की देखभाल करने वाले 'चिटनिस' और 'मुंशी' भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। शिवाजी के समय बालाजी आवजी चिटनिस के रूप में और नीलोजी मुंशी के रूप में बहुत सम्मानित थे। प्रत्येक प्रधान की सहायता के लिए अनेक छोटे अधिकारियों के अतिरिक्त 'दावन', 'मजमुआदार', 'फडनिस', 'सुबनिस', 'चिटनिस', 'जमादार' और 'पोटनिस' नामक आठ प्रमुख अधिकारी भी होते थे।

शिवाजी का प्रान्तीय शासन

शिवाजी ने शासन की सुविधा के लिए 'स्वराज' कहे जाने वाले विजित प्रदेशों को चार प्रान्तों में विभक्त किया था-

1. **उत्तरी प्रांत** - इसके अन्तर्गत **सूरत** से लेकर **पूना** तक का क्षेत्र शामिल था। शिवाजी ने यहाँ का शासन **पेशवा** मोरो त्रिम्बक पिंगले को सौंपा था।
2. **दक्षिणी-पश्चिमी प्रांत** - इसमें **समुद्र** तटीय प्रदेश एवं तत्कालीन **बम्बई** के दक्षिण **कोंकण** का क्षेत्र शामिल था। शिवाजी ने सचिव अन्नाजी दत्तों को यहाँ का शासन सौंपा था।
3. **दक्षिणी-पूर्वी प्रांत** - **सतारा**, **कोल्हापुर**, **बेलगांव** एवं **थारवार** क्षेत्र वाले इस प्रांत का शासन शिवाजी ने मंत्री दत्ताजी पन्त को सौंपा था।
4. **दक्षिणी प्रांत** - इस प्रांत में **जिंजी** और उसके आस-पास का प्रान्त सम्मिलित था। यह क्षेत्र रघुनाथ पन्त हनुमन्ते के अधीन था।

शिवाजी ने अपने दुर्गों की सुरक्षा के लिए 'हवलदार', 'सर-ए-नौबत' एवं 'सुबनिस' नाम के अधिकारियों की व्यवस्था की थी। हवलदार किले की आन्तरिक व्यवस्था को देखता था। सर-ए-नौबत किले की सेना का नेतृत्व एवं उन पर नियंत्रण रखता था। सुबनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र-व्यवहार एवं भण्डार आदि की देख-भाल करता था। सर-ए-नौबत एवं हवलदार का पद प्रायः **मराठों** को एवं सुबनिस का पद **ब्राह्मणों** एवं **कायस्थों** को प्रदान किया जाता था। स्वराज प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन था। प्रत्येक प्रान्त महलों में विभक्त था। इसका अधिकारी 'सरहवलदार' होता था। महलों को तरफों में बाँटा गया था, जो 'हवलदार' नामक अधिकारी के अधीन था। इसके अधीन 'कारकुन' तथा 'परित्याकर' नामक अधिकारी होते थे। 'मौजा' (गांव) सबसे छोटी इकाई थी। इसमें पाटिल या पटेल होते थे। इनका सहायक कुलकर्णी होता था।

सैन्य व्यवस्था

शिवाजी उन शासकों में से थे, जिन्हें राज्य सत्ता का भोग वरदान में नहीं प्राप्त हुआ था। इन्हें शून्य से मराठा राज्य की स्थापना तक कठिन श्रम करना पड़ा था, जिसके लिए एक शक्तिशाली सेना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी थी। शिवाजी की सेना तीन महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी

1. पागा सैनिक
2. सिलहदार
3. पैदल सेना

शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में लगभग 45,000 पागा, 60,000 घुड़सवार एवं लगभग एक लाख पैदल सैनिक थे।

पागा सेना

यह शिवाजी की सेना का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। शिवाजी की इस नियमित सेना के घुड़सवारों को 'व्यक्तिगत घुड़सवार' या 'राजकीय घुड़सवार' कहा जाता था। शिवाजी की सेना श्रेणियों में विभाजित थी- 25 साधारण सैनिकों के ऊपर एक हवलदार, 5 हवलदारों के ऊपर एक हज़ारी एवं पांच एक हज़ारियों के ऊपर एक पांच हज़ारी वहन किया जाता था। पागा सेना 'सर-ए-नौबत' अधिकारी के अधीन रहती थी। 25 घुड़सवारों की एक टुकड़ी को 'एक भिश्ती' एवं एक 'नालबन्द' प्रदान किया जाता था। पागा या शाही घुड़सवारों को 'बरगीर' पुकारते थे। इन्हें राजा की ओर से शस्त्र का दूसरा भाग था।

सिलहदार

अस्थायी घुड़सवारों का दल 'सिलहदार' सेना का दूसरा भाग था। इस श्रेणी के सैनिकों को अपना घोड़ा एवं साजों-सामान के सभी खर्च स्वयं उठाने पड़ते थे। सरकार की ओर से वेतन न प्राप्त करने वाली सेना की इस टुकड़ी को तभी बुलाया जाता था, जब इसकी आवश्यकता होती थी। इन सैनिकों को युद्ध के समय लड़ाई भत्ता मिलता था।

पैदल

शिवाजी की पैदल सेना में 'मावल' के बहादुर वीरों की संख्या अधिक थी। इनके साजो-सामान एवं हथियारों पर राज्य के द्वारा काफ़ी धन खर्च किया जाता था। पैदल सेना में अधिकारियों का पद विभाजन किया गया था। 9 सैनिकों या पाइकों का अधिकारी नायक, दस नायकों का एक हवलदार, दो या तीन हवलदारों का अधिकारी एक जुमलादार, दस जुमलदारों का अधिकारी एक हज़ारी तथा सात एक हज़ारियों का अधिकारी एक सात हज़ारी होता था। पैदल सेना में पंच हज़ारी पद नहीं था। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे।

- शिवाजी की सेना में गुप्तचर, तोपखाना एवं समुद्री बेड़ों की भी व्यवस्था थी। सेना को जागीर के रूप में वेतन मिलने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। सेना के साथ युद्ध में स्त्रियों का जाना वर्जित था।

राजस्व के स्रोत

राजस्व के प्रमुख स्रोत के रूप में 'भूमिकर', 'चौथ' एवं 'सरदेशमुखी' का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त व्यापार कर, उद्योग कर, युद्ध में प्राप्त धन, भेंट आदि भी राजस्व के स्रोत थे।

भूमिकर

संभवतः शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अम्बर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर 'काठी' एवं 'मानक छड़ी' के प्रयोग को आरम्भ किया था। '20 छड़ी' अर्थात् एक बीघा; 120 बीघे अर्थात् एक चावर।

1670 ई. में शिवाजी के आदेश पर अत्राजी दत्तों ने व्यापक स्तर पर भू-सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33 प्रतिशत भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था, जो कालान्तर में बढ़कर 40 प्रतिशत हो गया था। बंजर भूमि पर से अल्प मात्रा में कर लिया जाता था। राजस्व को नकद एवं उपज दोनों रूपों में वसूला जा सकता था। राज्य की ओर से किसानों को बीज एवं पशु के क्रय हेतु ऋण मिलता था। शिवाजी ने ज़मींदारी एवं जागीरदारी की व्यवस्था का विरोध करते हुए 'रैयतवाड़ी व्यवस्था' को अपनाया था।

चौथ

चौथ एक प्रकार का कर था। इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। विद्वान राना के अनुसार चौथ सेना के लिए दिया जाने वाला अंशदान मात्र नहीं था, अपितु बाह्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले दिया जाने वाला कर था। विद्वान सरदेसाई का मानना है कि यह कर शत्रुता रखने वाले व विजित क्षेत्रों से वसूला जाता था। जदुनाथ भट्टाचार्य सरकार का मानना है कि यह कर मराठा आक्रमणों से बचने के बदले में वसूले जाने वाले शुल्क से अधिक कुछ नहीं था, अतः इसे एक प्रकार का भयदोहन ही कहा जाना चाहिए। सामान्य रूप से चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि व पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था, जिसे वसूल करने के लिए मराठी सेना को उस क्षेत्र पर आक्रमण तक करना पड़ता था।

सरदेशमुखी

इस कर को शिवाजी इसलिए वसूल करते थे, क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी 'सरदेशमुखी' थे। यह कर राज्यों की आय का 1/10 भाग होता था।